भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 588

(दिनांक 20.07.2017 को उत्तर के लिए)

**सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण**

**588. श्री परिमल नथवानीः**

**क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर योग्य खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उक्त कोटा के अंतर्गत भर्ती करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और कोटा बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में झारखंड और गुजरात से भर्ती किए गए खिलाड़ियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आरक्षित पदों को भरते समय सभी खेलों के खिलाड़ियों की भर्ती पर बल देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)**

(क) जी, हां। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय और विभाग योग्य खिलाड़ियों को भारत सरकार के अधीन समूह 'ग' पदों पर; किसी वर्ष की 5 प्रतिशत रिक्तियों तक; भर्ती कर सकते हैं बशर्ते कि इनको शामिल करते हुए अन्य सभी आरक्षण सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक न हो जाए।

(ख) खेल 'कोटा' के अंतर्गत भर्ती सहित खिलाड़ियों हेतु प्रोत्साहन संबंधी समेकित अनुदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 अक्तूबर, 2013 के का.ज्ञा.सं. 14034/01/2013-स्था. (घ) के तहत जारी किए गए है। वर्तमान में इस 'कोटा' को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), योग्य खिलाड़ियों की भर्ती की नीति तैयार करता है जिसका कार्यान्वयन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भर्ती किए गए खिलाड़ियों की संख्या के संबंध में ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, योग्य खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु 43 खेलों को चिह्नित किया गया है। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ, समूह 'ग' पदों पर योग्य खिलाड़ियों की भर्ती हेतु ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों के लिए 10 वर्ष) की छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। विनिर्दिष्ट खेल आयोजनों में पदक जीतने पर सरकारी कर्मचारी अपनी बारी आने से पूर्व पदोन्नति के लिए भी पात्र होते हैं।

*****